फर्द अहकाम

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर मु0 जयपुर

गीता देवी बनाम सुरेश चंद वगै0

संख्या : इजराय– 2/2025

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही		विशेष विवरण
23.01.2025	प्रार्थी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होवें। तहसीलदार रामपुरा डाबड़ी को न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.01.2025 (71/2024 उनवान सुरेश चंद बनाम अमरचंद) की पालना हेतु लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 03.02.2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर	तहसीलदार 88 24/01/2025
3/2/25	पत्रावली पेश हुई। न. फ. उप, पत्रावली सांख्यिकी आदेश..... अनुसार आगामी पेशी दिनांक 21/2/25 को पेश हो।	
21/2/25	पत्रावली पेश हुई। न. फ. उप, पत्रावली सांख्यिकी आदेश..... अनुसार आगामी पेशी दिनांक 6/3/25 को पेश हो।	
6/3/25	पत्रावली प्रस्तुत। इंतजार पालना रिपोर्ट हेतु दिनांक 19/3/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
19/3/25	पत्रावली आज दिनांक 19/3/25 को पेश हुई। कि डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट एसो. जयपुर द्वारा कलमबन्द की जाने से पत्रावली मूलानुसार दिनांक 27/3/25 को पेश हो।	
27/3/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार रामपुरा-डाबड़ी जयपुर द्वारा ग्राम पंचायत के नामान्तकरण संख्या [illegible] दिनांक [illegible] 2025 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] कर पालना कर दी गई है। अतः इजराय प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर निर्णित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:31:19 IST
Reason: SelfAttested